र व तारीख अहक
इस हुक्म की ता
में जारी हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— **अशोक कुमार असीजा** आर.ए.एस.

अपील सं. 23/2019

अनवानः—

हरकौरी पत्नी हनुमान जाति विश्नोई सा. इन्द्रपुरा तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।

अपीलांट

बनाम

तहसीलदार)राजस्व) संगरिया।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 07 दिनांक 09.02.1983 ।

उपस्थितः— 1 श्री अजय कुमार विश्नोई अभिभाषक अपीलांट ।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः — 09.9.19

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रशासन गांव के ंग अभियान 2013 कैम्प इन्द्रपुरा में ग्रामवासियों द्वारा पेश प्रा0पत्र में उपखण्डाधिकारी ंगरिया के आदेश कमांक 21 दिनांक 12.2.13 की पालना में पटवारी हल्का इन्द्रपुरा की पोर्ट दिनांक 24.4.13 के अनुसार राज0 उपनि0 अधिनियम की धारा 22 के तहत दिनांक 4.4.13 को प्रकरण रेस्पो0 के कार्यालय में दर्ज किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के नुसार तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने चक 17 एम.जे.डी. गै0मु0(शमशान भूमि) प0नं0 08/174 कि0नं0 18 में 52 गुणा 23 कुल 1196 वर्गफीट भूमि पर मकान बनाकर गै0मु0 न्शान भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखाहै। पत्रावली दर्ज कर धारा 22 के तहत नोटिस री कर तलब किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील विधिक रूप से मानकर अपीलांट हाजिर नहीं आने पर अनेक पेशियां पड़ती रही व दिनांक 29.7.13 को अपीलांट के विरूद्ध क तरफा कार्यवाही की जाकर उपनि0 अधिनियम की धारा 22 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ते हुए अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल करने के आदेश दिये गये एव ल गुजारी का 50 गुणा तावान कायम किया जाकर वसूल करने के आदेश दिये गये। पीलांट को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी व ना ही अपीलांट को पूर्व में उक्त क्रम में कोई नोटिस प्राप्त हुआ। अब रेस्पो0 द्वारा जारी नोटिस दिनांक 12.6.19 अपीलांट प्राप्त हुआ जिसमें यह अंकित किया कि अपीलांट ने गै0मु0 शमशान भूमि पर मकान/बाड़ा बनाकर नाजायज कब्जा कर रखा है आप इसे 10 दिवस में हटा लेवें। अपीलांट को उक्त नोटिस प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पत्रावली की जांच पड़ताल की व सत्यापित प्रति हासिल की तब अपीलांट को उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 20.7.13 का ज्ञान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस भूमि पर अपीलांट सहित काफी परिवार निवास कर रहे हैं व अपीलांट व अन्य ने इस जगह पर पानी,बिजली के कनैक्शन अपने नाम से ले रखे हैं। रेस्पो0 ने राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में आकर इस भूमि को गै0मु0 शमशान भूमि मानकर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से पारित किये गये हैं । अपीलांट आदेश से व्यथित होकर निम्न लिखिल आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रही है:-

क:- यह कि तहसीलदार संगरिया द्वारा पारित आदेश कतई गलत विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये बिना ही पारित किया गया होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त होने योग्य है।

ख:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। आदेश एक पक्षीय होने से अपास्त होने योग्य है।

ग:- यह कि प्रश्नगत भूमि साईज 52 गुणा 23 कुल 1196 वर्गफीट पर अपीलांट का नाजायज कब्जा नहीं है। यह भूमि चौब जोहड के नाम खसरा में दर्ज है जिस पर अपीलांट काफी अर्सा से आबाद है व बिजली पानी के कनैक्शन लिये हुए हैं। यह भूमि कभी भी गै0मु0 शमशान की भूमि के रूप में दर्ज नहीं रही है व ना ही वर्तमान में है व ना ही शमशान भूमि के लिए आरक्षित है। तहसीलदार ने इस भूमि पर अपीलांट को कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से राजनैतिक दबाव में आकर अतिक्रमी मानकर विधिक भूल की है।

घ:- यह मा0 उच्च न्यायालय जयपुर की एकलपीठ द्वारा याचिका सं011153/2011 सोओमोटो नाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 29.5.12 को स्पष्ट रूप से निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि 1955 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि जो नाला,तालाब,नदी,बांध व पायतन उल्लेखित है उसका आवंटन या नियमन सभी उद्देश्यों के लिए प्रतिबंध किया गया है लेकिन तहसीलदार संगरिया द्वारा जानबूझकर राजनैतिक दबाव में आकर उक्त भूमि को शमशान भूमि की भूमि मानकर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया गया है।

रेस्पो0 आदेश दिनांक 29.7.13 की पालना/क्रियान्विति में अपीलांट को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने व तावान राशि वसूलने हेतु प्रयासरत है यदि अपीलांट अपने इस अनुचित व गैरकानूनी कृत्य में कामयाब हो गया तो अपीलांट को भारी असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी व अपील में सफलता मिलने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। इसलिए अपीलांट स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.6.13 अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गयी। रेस्पो0 की ओर से सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब होने पर सलंग्न पत्रावली किया गया।

अन्तिम बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क किया कि अपीलांट का शमशान की भूमि पर कब्जा नहीं बल्कि जोहड़ चौब की भूमि पर काफी अरसा पूर्व से आबाद है। प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में शमशान के नाम दर्ज नहीं हे। अपीलांट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है। अतः धीनस्थ आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क किया कि प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान शमशान भूमि है जबकि राजस्व रिकार्ड में जोहड़ चौब की भूमि है। दोनों ही परिस्थितियों में प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिस पर किसी व्यक्ति को अनाधिकृत कब्जा व मकान निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया

में 86 गुणा 45 फीट पर मकान बनाकर कब्जा किया हुआ है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत परचा खतौनी चक 17 एमजेडी में प0नं0 108/174 कि0नं0 18 चौब जोहड़ दर्ज है। जिस भूमि पर अपीलांट द्वारा कब्जा कर मकान बनाया गया है वह रिकार्ड में चौब जोहड़ दर्ज है, जिस पर कब्जा कर मकान बनाना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत इस श्रेणी की भूमियां प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है, जिसका किसी को भी आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार संगरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.7.13 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.9.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official